न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46(1) बी के तहत
अनुमति वाद संख्या –आर. एम. 62/2022–23

जयनाथ महतो...विक्रेता

बनाम

जितेन्द्र नारायण महतो.. ....क्रेता

आदेश की तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3

12·10·2022

विक्रेता का नाम एवं पता– जयनाथ महतो पिता–स्व. घासीराम महतो निवास ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी. नवाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी।

क्रेता का नाम एवं पताः– जितेन्द्र नारायण महतो पिता–स्व. करमचन्द महतो निवास ग्राम– गुचीडीह, पो०–बी. नवाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी।

विद्वान अधिवक्ता का नामः– श्री रामचरण महतो।

विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 26/08/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) बी के तहत क्रेता जितेन्द्र नारायण महतो पिता–स्व. करमचन्द महतो निवास ग्राम– गुचीडीह, पो०–बी. नवाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–बासाहातु, थाना–सोनाहातु, थाना सं०–71 जिला–राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
21	225	18 डीसमील	उ०–जगरनाथ महतो द०–सहायक रास्ता पू०–धर्मराज महतो प०–घनश्याम प्रमाणिक

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी राहे का पत्रांक–328 (I I) दिनांक 01/10/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत फकीरा महतो वल्द महकम महतो वो तेजुआ महमो पिता–मोहन महतो वो शुकुवा महतो वो शंकरा महतो पेशरान शामलाल महतो के नाम से दर्ज है।

12.10.2022

2. खतियानी रैयत से आवेदक का संबंध दादा–पोता का है।
3. पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम जगन महतो पिता–फकीर महतो, तेजुआ महतो पिता–मोहन महतो वो शंकर महतो वो सुकुवा महतो पेशरान शामलाल महतो दर्ज है ।
4. पंजी–।। रैयत के साथ आवेदक का दादा–पोता का संबंध है।
5. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2022–2023 तक वसूली की गई है।
6. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
7. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म है।
8. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
9. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में अवेदक/आवेदिका का अंश है।
10. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा–12.74 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
11. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
12. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकरी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
13. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है।
14. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है।
15. आवेदित भूमि पर विक्रेता का दखल है। आवेदिम भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
16. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
17. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
18. आवेदक का भूमि के बिक्री के पश्चात भी जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) बी के तहत विक्रेता जयनाथ महतो पिता–स्व. घासीराम महतो निवास ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी. नवाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी ने क्रेता/विपक्षी जितेन्द्र नारायण महतो पिता–स्व. करमचन्द महतो निवास ग्राम– गुचीडीह, पो०–बी. नवाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 26/08/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता जयनाथ महतो पिता–स्व. घासीराम महतो निवास ग्राम–गुचीडीह, पो०–बी. नवाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारीको क्रेता/विपक्षी जितेन्द्र नारायण महतो पिता–स्व. करमचन्द महतो निवास ग्राम– गुचीडीह, पो०–बी. नवाडीह, अंचल–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी के हाथों बिकी करने की अनुमति छोटानागपुर

12·10·2022

काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (I) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–बासाहातु, थाना–सोनाहातु, थाना सं०–71 जिला–राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
21	225	18 डीसमील्	उ०–जगरनाथ महतो द०–सहायक रास्ता पू०–धर्मराज महतो प०–घनश्याम प्रमाणिक

लेखापित एवं सशोंधित

12/10

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू।

12/10

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.02.15 17:11:52 +05:30
Location: 10.93.79.19